

न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्याया. के द्वितीय अति. न्यायाधीश,
श्रृंखला न्याया.चंदेरी जिला – अशोकनगर (म.प्र.)
॥ समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

दांडिक अपील क.-16/2017
संस्थित दिनांक-20.09.2017
सी.आर.ए. क.-58/2017

1. जानकी पुत्र कम्मोदी कुशवाह, आयु-44 वर्ष,
2. गोपाल पुत्र जानकी लाल कुशवाह, आयु-24 वर्ष,
निवासीगण-ग्राम डबिया, थाना-चंदेरी,
अशोकनगर (म.प्र.)

..... अपीलार्थीगण

// विरुद्ध //

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र चंदेरी,
जिला-अशोकनगर

..... प्रत्यार्थी

अपीलार्थी द्वारा	:-	श्री एम.बी.मिर्जा अधिवक्ता ।
प्रत्यार्थी/राज्य द्वारा	:-	श्री मुकेश राजपूत अति.लोक अभियोजक ।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 16.05.2018 को घोषित किया गया)

(1) अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जानकी व गोपाल ने यह नियमित दांडिक अपील धारा 374 दं.प्र.सं., 1973 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर (श्री आसिफ अहमद अब्बासी) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रं.-445/2012 म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी विरुद्ध जानकी लाल आदि, में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2017 को प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत की है। प्रश्नगत निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 324/34 भादसं. के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये एक माह के साधारण कारावास एवं राशि 500 रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया गया है एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण को सात दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया है।

(2) अभियोजन की कहानी का सारांश इस प्रकार है कि, दिनांक 26.10.2012 को सुबह 06:00 बजे फरियादी जसरथ अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी जानकी लाल, गोपाल काछी आए और जमीन के विवाद पर से जसरथ को मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। जसरथ ने गाली देने से मना किया तो गोपाल ने डण्डा मारा जो

उसके बाएँ पैर की जांघ में लगा मुंदी चोट आई। जानकी लाल काछी ने फर्सा मारा जो सिर में बाएँ तरफ लगा, चोट होकर खून निकल आया। घटना के समय हरबान काछी, रामलाल लोधी व प्रेम बाई थी, जिन्होंने जसरथ को बचाया था। जब जसरथ घर जाने लगा तो दोनों ने रास्ता रोककर कहा कि जमीन की बात की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी जसरथ द्वारा थाना चंदेरी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई जो अपराध क्र.-346/12, धारा 323,324,294,341,506बी, 34 भादसं. के तहत पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका, जप्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(3) विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 324/34, 294, 506बी भादसं. के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये। अपीलार्थीगण ने आरोप में वर्णित अपराध करने से इंकार किया, तब उसका विचारण किया गया। विचारण उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नांकित निर्णय अनुसार अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए निर्णय अनुसार दण्डित किया है।

(4) अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि, प्रश्नांकित निर्णय विधि, विधान एवं तथ्यों के विपरीत है। साक्षीगण के कथनों का सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं किया गया। साक्षियों के कथनों में प्रतिपरीक्षण के दौरान सारभूत विरोधाभास एवं विसंगतियां होने के बाद भी उन पर विश्वास करने में भूल की गई है, दण्डाज्ञा भी त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

(5) प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से प्रश्नांकित निर्णय व दोषसिद्धि विधि अनुकूल होना प्रकट करते हुए पुष्टी किये जाने की याचना की गई है।

(6) उभयपक्ष के तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का परिशीलन किया गया।

विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं :-

- 1- क्या, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषसिद्ध पाकर त्रुटि कारित की ?
- 2- क्या, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/आरोपीगण को आलोच्य दण्डादेश से दंडित कर त्रुटि कारित की है ?

// निष्कर्ष के आधार //

(7) उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन द्वारा हरबान काछी अ.सा-1, जसरथ अ.सा-2, प्रेम बाई अ.सा-3, आर.पी.शर्मा अ.सा-4 एवं एएसआई अब्दुल हमीद खां अ.सा-5 के कथन करवाए हैं। बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में आहत दशरथ अ.सा-2 का कथन है कि आरोपीगण उसके खेत में जबरन खेती कर रहे थे और

उसके द्वारा मना करने पर विवाद करते थे। जानकी लाल ने पीछे से आकर फर्सा मारा था, जिससे वह गिर कर बेहोश हो गया था। रिपोर्ट प्र.पी-1 करना बताया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर यह स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्षों के मध्य खेती करने की बात को लेकर विवाद था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि रिपोर्ट उसकी मां ने लिखवाई होगी। परंतु इस तथ्य से इंकार करता है कि उसके पिता ने कई सालों से जानकी को जमीन बटाई पर दी थी। परंतु यह स्वीकार करता है कि उसने इस साल जानकी लाल से दस हजार रुपए लेकर खेती की है और पिछले साल भी दस हजार रुपए में वटिया से खेती की थी। फिर यह साक्षी कहता है कि दस हजार रुपए में जानकी लाल को खेती दी थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण यदि चार हजार रुपए दे देते तो वह राजीनामा कर लेता। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी उसके पिता को अपने साथ रख कर खाना खिलाता था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके पिता को अपने पास रखे रहते थे, यह बात उसे पसंद नहीं थी। शराब पीकर गिरने से चोटें आने के तथ्य से इंकार करते हुए आरोपी उसके पिता को पंद्रह दिन अपने पास नहीं रखते और खेती नहीं करते तो झगडा नहीं होता।

(8) प्रेम बाई अ.सा-3 ने बताया है कि चिल्लाने की आवाज सुन कर जब वह घर के बाहर आई तो आरोपीगण उसके लडके को मार रहे थे। जानकी लाल ने उसके लडके के सिर में फर्सा मार दिया था। गोपाल से लिपट झिपट हो गई थी। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जानकी अगर पैसे दे देता तो उसका राजीनामा हो जाता। उसके पति धर्मवीर ठेके पर जमीन देते थे और पति के मरने के बाद दस हजार रुपए में जानकी को उसका लडका ठेके पर जमीन देता है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति मारने के एक माह बाद मर गए थे। इस साक्षी ने जो कि आहत की मां है, ने स्वीकार किया है कि जानकी अगर उसके पति को खाना नहीं खिलाता तो उसका लडका रिपोर्ट नहीं करता। यह भी स्वीकार किया है कि उसके पति को जानकी खाना खिलाता था तो उन लोगों की बदनामी होती थी।

(9) आर.पी.शर्मा अ.सा-4 ने बताया है कि मेडीकल परीक्षण में सिर के बाए तरफ फटा हुआ घाव जो कि आडा था, जमा हुआ खून था। 2 इंच गुणा 1/4 गुणा 1/4 था। चोट साधारण प्रकृति की कठोर एवं मौथरी वस्तु से आई थी। 24 घंटे के अंदर की थी। रिपोर्ट प्र.पी-3 पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्शित करता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने किसी धारदार हथियार की चोट नहीं पाई थी। स्वतः कहता है कि फर्सा धारदार एवं मुदा भी होता है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सिर में केवल एक चोट पाई थी। सिर में पीछे की तरफ कोई चोट नहीं थी। इस प्रकार यह साक्षी सिर में पीछे की ओर चोट होने के तथ्य से इंकार करता है और सख्त व धारदार हथियार से चोट आने से इंकार करता है। फटा हुआ घाव होना प्रमाणित करता

है। रिपोर्ट प्र.पी-3 के अनुसार आहत के सिर पर एक घाव बाई ओर 2 गुणा 1/4 गुणा 1/4 आकार का होना प्रमाणित करता है।

न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि :-

क्या, आहत को आई हुई चोट आरोपीगण द्वारा फर्सा से मारने से सख्त एवं धारदार वस्तु से आई है ?

(10) प्र.पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.10.2012 को सुबह 06:00 बजे घटना होने के उपरांत 10:45 बजे रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है। जिसके अनुसार आरोपी गोपाल द्वारा पैर में डंडा मारने से जांघ में चोट आना बताया है। जानकी लाल द्वारा फर्सा मारने से सिर के डेढे तरफ चोट आने के संबंध में बताया गया है। जिसकी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है। रिपोर्ट प्र.पी-1 जसरथ द्वारा लेखबद्ध कराई जाना दर्शित होता है।

(11) प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में एवं प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों से यह तथ्य स्वीकृत रूप से आया है कि उभय पक्षों के मध्य जमीन को लेकर आपसी विवाद है और उसी के कारण उनका विवाद हुआ है। वैमनस्यता एक दोधार वाला हथियार है। यह एक असत्य फसाने का आधार हो सकता है। वहीं अपराध करने का हेतु भी हो सकता है। न्यायालय प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति में निर्णित करता है कि पूर्व वैमनस्यता का प्रभाव क्या है। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत कुवर पाल उर्फ सूरज पाल एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड एवं अन्य 2015 (1) काईम्स 217 (एस. सी.) अवलोकनीय है। प्रकरण में आए हुए स्वीकृत तथ्यों के आलोक में विचार किया गया। प्रकरण में जसरथ अ.सा-2 ने जानकी द्वारा फर्सा से मारना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उसकी मां द्वारा रिपोर्ट लिखाई जाना बताया है। परंतु इस साक्षी ने स्वयं घटना का समर्थन करते हुए फर्सा से सिर पर चोट आना भी बताया है। फर्सा से चोट आने का समर्थन आर.पी.शर्मा अ.सा-4 ने किया है। इस साक्षी ने सिर के बाई तरफ फटा हुआ घाव आडा 2 इंच 1/4 गुणा 1/4 साईज का होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में सिर के बल गिरने से चोट आना संभव होना बताया है। परंतु जसरथ अ.सा-2 ने शराब पीकर गिरने से उसे चोट आने के तथ्य से इंकार किया है। प्रकरण में आर.पी.शर्मा अ.सा-4 ने चिकित्सकीय परीक्षण करते समय फरियादी/आहत द्वारा कोई शराब पी रखी हो ऐसा कोई तथ्य का उल्लेख अपनी रिपोर्ट प्र.पी-3 में नहीं किया है। जबकि प्रेम बाई अ.सा-3 ने जानकी लाल द्वारा सिर में फर्सा मारने एवं गोपाल द्वारा लिपट-झपट करने के संबंध में साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण में बचाब पक्ष द्वारा स्वयं यह पूछा गया है कि जानकी द्वारा पीछे से आकर लडके में फर्सा मारने से चोट आई थी, जिसे इस साक्षी ने स्वीकार किया है। बचाब पक्ष द्वारा लिया गया यह बचाब कि शराब

पीकर गिरने से चोट आई थी। प्रेम बाई अ.सा-3 को इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस साक्षी ने उसके लडके द्वारा शराब पीने के इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके लडके के शराब पीने की जानकारी उसे है। यद्यपि साक्षी हरभान अ.सा-1 ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है। परंतु जसरथ अ.सा-2 के कथनों का समर्थन प्रेम बाई अ.सा-3 ने किया है। अन्य साक्षी रामलाल की मृत्यु हो चुकी है। विवेचना के दौरान की गई कार्यवाहियों को अब्दुल हमीद अ.सा-5 ने न्यायालय में दर्शित किया है। लेकिन यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में फर्सा एवं डंडा जप्त नहीं किया गया था। शेष प्रतिपरीक्षण में भी कोई तथ्य नहीं है, जिससे विवेचना के दौरान की गई कार्यवाही संदेहास्पद हो सकें।

(12) प्रकरण में विवेचक अब्दुल हमीद अ.सा-5 ने यह स्वीकार किया है कि उसने विवेचना के दौरान फर्सा व डंडा जप्त नहीं किया है। प्रकरण में डा. आर.पी.शर्मा अ.सा-4 ने अभिलेख पर प्र.पी-3 की रिपोर्ट को प्रमाणित करते हुए यह प्रमाणित किया है कि दिनांक 26.10.2012 को आहत जसरथ पुत्र हरगोविंद के सिर पर एक आड़ा फटा हुआ घाव था जो कि सख्त एवं भौतरी वस्तु से आया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि फर्सा मुदा अर्थात् वौथरा भी हो सकता है।

(13) धारा 324 भादसं. में अपराध प्रमाणित किए जाने हेतु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि — **खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना**— जो कोई असन्, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आकामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाये, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निकलना या रक्त में पहुँचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा।

(14) ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह तथ्य दर्शित नहीं होने से कि फर्सा को धारदार हथियार की तरह उपयोग कर उपहति कारित किए जाने का तथ्य संदेहास्पद हो गया है। ऐसी स्थिति में धारा 324/34 भादसं. का अपराध घटित होना प्रमाणित नहीं है। परंतु आहत को सख्त एवं भौतरी वस्तु से आई हुई चोटों को देखते हुए धारा 323 भादसं. का अपराध किया जाना अभिलेख पर प्रमाणित होता है। अतः अभियोजन धारा 324/34 भादसं. के स्थान पर धारा 323/34 भादसं. का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष की धारा 324/34 भादसं. का अपराध किया गया है। उचित नहीं है। अतः आंशिक रूप से संशोधन कर धारा 324/34 के स्थान पर धारा 323/34 भादसं. के अपराध में आरोपीगण जानकी लाल पुत्र कम्मोडी कुशवाह एवं गोपाल पुत्र जानकी कुशवाह को दोषी

पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

(15) प्रकरण में आरोपीगण जानकी लाल एवं गोपाल के विरुद्ध फरियादी जसरथ को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी धारदार फर्सा एवं लाठी से फरियादी जसरथ के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में धारा 323/34 भादसं. के अपराध में दण्डादेश दिए जाने का प्रश्न है, उस पर विचार किया गया। विचारण न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 324/34 भादसं. में एक माह के साधारण कारावास एवं 500/—(पांच सौ) रूपए के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सात दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

(16) अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री एम.बी.मिर्जा द्वारा यह निवेदन किया गया कि आरोपीगण का प्रथम अपराध है, परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने का निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा मिल कर फरियादी जसरथ के साथ मारपीट की गई है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ। परंतु प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित होकर दिनांक 31.08.2017 को निराकृत हुआ है। आहत जसरथ को शारीरिक रूप से कोई गंभीर चोट होना नहीं पाया गया है। आरोपीगण की कोई पूर्व दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि आरोपीगण का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड हो। आरोपीगण जानकी लाल आयु-44 वर्ष, गोपाल आयु-24 वर्ष की आयु के होकर पिता पुत्र है, उन पर परिवार के पालन पोषण के बोझ से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः आरोपीगण को कारावास के स्थान पर अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। अतः आरोपीगण जानकी लाल पुत्र कम्मोडी कुशवाह एवं गोपाल पुत्र जानकी कुशवाह को धारा 323/34 भादसं. के संबंध में प्रत्येक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं राशि 1,000—1,000 (एक हजार—एक हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक—एक माह का साधारण कारावास प्रत्येक को पृथक—पृथक से भुगताया जाए। (जो उन्हें विचारण न्यायालय में एक साथ न्यायालय में बैठा कर भुगताई जाए) पूर्व में आरोपीगण द्वारा उक्त धारा अंतर्गत अर्थदण्ड की जमा की गई राशि इस न्यायालय द्वारा की गई अर्थदण्ड राशि में से मुजरा की जावे। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर आहत जसरथ को 2,000/—(दो हजार) रूपए की राशि धारा 357 (3) दप्रसं के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि दी जावे। अपीलार्थीगण की अपील दोषसिद्धी के संबंध में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अभियुक्तगण एक—एक दिन की सजा भुगतने हेतु एवं अर्थदण्ड जमा करने हेतु विचारण न्यायालय में दिनांक 17.05.2018 को पेश हो।

प्रकरण में कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

.7. दांडिक अपील क्र.-161 / 2017

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

मेरे आलेख में टंकित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति.
न्यायाधीश, अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥
प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.
अति.न्यायाधीश, अशोकनगर

.8. दांडिक अपील क.-161 / 2017

(21) अतः उक्त पुलिस साक्षी के कथन पर अवशिवास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं आया है एवं इन परिस्थितियों में धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधि. की उपधारणा अभियुक्त के विपरीत जाती है एवं अभियुक्त को यह स्पष्ट करना आवश्यक है क उक्त चोरी की संपत्ति उसके पास कैसे आई ? एवं इस उपधारणा को खण्डित करने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

(22) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में यह तथ्य समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त देवेन्द्र ने दिनांक 09-10.07.2014 को रात के समय सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्योदय के पश्चात् फरियादी महेन्द्र कुमार की दुकान स्थित विदिशा रोड, अशोकनगर में पुलिस थाना अशोकनगर, तत्कालीन जिला-गुना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चोरी का अपराध कारित करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं तत्समय उक्त फरियादी महेन्द्र कुमार की दुकान से उसकी सहमति के बिना गेहू एवं चने की चोरी की एवं उसे धारा 457, 380 भादसं. के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार कर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अपराध के संबंध में दोषसिद्ध का निष्कर्ष दिया है, जिसमें इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप करने की संभावना दर्शित नहीं होती है। अतः उक्त दोषसिद्धि के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या, अभियुक्त को दी गई सजा उचित है अथवा उसमें हस्तक्षेप की संभावना है ?

(23) प्रश्नगत निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 457, 380 भादसं. के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 (पांच सौ-पांच सौ) रूपए के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त ने जिन परिस्थितियों में उक्त अपराध कारित किया है, उसे विचार में रखते हुए यह माना जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा पूर्णतः शिक्षाप्रद है, जिसमें हस्तक्षेप की संभावना दर्शित नहीं होती है। अतः उक्त दण्डाज्ञा की पुष्टि की जाती है।

(24) उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह दांडिक अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिए गए निष्कर्ष एवं दण्डाज्ञा की पुष्टी की जाती है।

(25) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी देवेन्द्र दिनांक 21.01.2009 को स्थाई वारंट के पालन में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं न्यायिक निरोध में प्रेषित किया गया था। दिनांक 26.03.2009 को आरोपी जब न्यायिक निरोध में था तभी प्रकरण का निराकरण किया गया है। पश्चात् यह अपील दिनांक 16.04.2009 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपी को 389 दप्रसं. के तहत अर्थदण्ड की राशि जमा कर दस हजार रूपए की जमानत पर रिहा किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। परंतु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लिए गए जमानत प्रपत्र आदि संलग्न नहीं है और न ही जेल द्वारा प्रेषित सजा वारंट एवं धारा 428 दप्रसं. का प्रमाण पत्र संलग्न है। अतः मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अशोकनगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मजि. से जांच कर अभियुक्त का सजा वारंट पुनः बनाए एवं धारा 428 दप्रसं. 1973 का प्रमाण पत्र बना कर दप्रसं. के प्रावधान अनुसार आहूत कर सजा भुगताए जाने हेतु प्रेषित करें।

अभियुक्त देवेन्द्र की उपस्थिति के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टी की जाती है।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

मेरे आलेख में टंकित किया गया

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति.
सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.
अति.सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर

प्रतिलिपि :-

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर (श्रीमति रीतु वर्मा कटारिया) द्वारा दांडिक प्रकरण क्र.-2285/20114 म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली, अशोकनगर विरुद्ध सोनू आदि, में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2018 के संदर्भ में मूल दांडिक प्रकरण सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर
के न्यायालय के द्वि.अति.सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर